

3/43
1/स्व. आयुक्त/
28/3

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 9-13/2013/सत्रह/मेडि-3

भोपाल, दिनांक 30/07/2013

प्रति,

- 1- शासन के समस्त विभाग,
- 2- अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
- 3- समस्त विभागाध्यक्ष,
- 4- रजि. नगर, उच्च न्यायालय, जबलपुर / ग्वालियर / इन्दौर, म.प्र.,
- 5- समस्त मंत्रालय आयुक्त, म.प्र.,
- 6- समस्त जिलाध्यक्ष, म.प्र.,

विषय:- जे.के. हास्पिटल एवं मेडिकल कालेज भोपाल को शासकीय सेवक तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के जांच / उपचार हेतु शासकीय मान्यता।

.....0000000.....

राज्य शासन एतद्वारा चिकित्सा परिचर्या नियम 1958 के नियम -2 (च) के अन्तर्गत जे.के. हास्पिटल एवं मेडिकल कालेज भोपाल को शासकीय सेवकों तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को निम्नलिखित जांच/उपचार हेतु आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी एक वर्ष तक के लिये शर्तों पर मान्यता प्रदान की जाती है :-

क.	उपचार/जांच	दर
	Head injury	
	Acute SDH	16,375/-
	EDH	16,375/-
	Malignant Tumor	20,700/-
	Benign Tumor	21,200/-
	RFLG For trigeminal	8,550/-

- 1- यह मान्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहेगी :-
- 1- चिकित्सालय द्वारा संचालक चिकित्सा सेवाएँ द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रपत्रों में पूर्ण जानकारी रखनी होगी तथा प्रत्येक माह की 7 तारीख को संचालक चिकित्सा सेवाएँ म. प्र.भोपाल को भेजी जावेगी।
- 2- चिकित्सालय द्वारा उक्त दरों की रेट लिस्ट चिकित्सालय में लगाई जाना आवश्यक होगा।
- 3- मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों द्वारा शासकीय कर्मचारियों एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों से पंजीयन शुल्क नहीं लिया जावेगा।
- 4- जानकारी समय पर न भेजने, शासकीय सेवकों तथा उनके परिवार के सदस्यों से निर्धारित दरों से अधिक शुल्क लेने, संस्थान द्वारा दी जाने वाली परीक्षण संबंधी सुविधायें उपयुक्त/गानक स्तर की न पाये जाने अथवा किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर मान्यता किसी भी समय पूर्व सूचना के समाप्ति की जा सकेगी।
- 5- संचालक चिकित्सा सेवाएँ व उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी समय-समय पर जांच करने के लिये, कि समस्त सुविधायें उपयुक्त स्तर की हैं, संस्थान की जांच कर सकेंगे।
- 6- जिस शासकीय सेवक या उसके परिवार के सदस्यों को वर्तमान नियमों के अन्तर्गत निदान/उपचार के लिये पत्रावृत्त है, उस शासकीय सेवक को पदस्थापना के निकटतम चिकित्सा महाविद्यालय में कंसलटेन्ट को दिखाना होगा। कंसलटेन्ट द्वारा निदान की निरन्तर आवश्यकता के प्रमाण पत्र की जांच एक समिति करेगी, जिसमें चिकित्सा महाविद्यालय के डीन तथा मेडीकल और सर्जरी के विभागाध्यक्ष रहेंगे। जिला

संचा (MR)



मुख्यालय । उक्त प्रमाण पत्र की जांच सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक तथा संबंधित विशेषज्ञ (रोग विशेषज्ञ) करेंगे ।

- 7- उक्त चिकित्सालय में उपचार कराने / परीक्षण करवाने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति उक्त निर्धारित दरों पर ही जावेगी । यदि कोई अधिकारी / कर्मचारी या उसके परिवार का आश्रित सदस्य इससे महंगी चिकित्सा या अन्य परीक्षण उक्त चिकित्सालय में कराता है तो शेष राशि का भार वह स्वयं वहन करेगा ।
- 8- उक्त निर्धारित परीक्षणों के दरों की समीक्षा / पुनरीक्षित करने का अधिकार राज्य शासन को ही होगा ।
- 9- संस्थान को जिन निर्धारित दरों (एप्रूव्ड रेट लिस्ट) पर मान्यता प्रदान की गई है उन्हें दरों पर रोगी की जांच की जावेगी ।
- 10- संस्थान को नर्सिंग हाम एक्ट के अन्तर्गत पंजीयन कराना अनिवार्य होगा ।
- 3/- यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 1390/1532/2013/नि/चार, दिनांक 19/07/2013 द्वारा दी गई सहमति के तारतम्य में जारी की गई है ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सियाराम साहू)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ.क्रमांक एफ 9-13/2013/सत्रह/मेडि-3

भोपाल, दिनांक 30/07/2013

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (आडिट)-1 / 2 म.प्र. ग्वालियर की ओर वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.9.02 के संदर्भ में अग्रोपित ।

- 2- सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग की ओर उनके जावक क्रमांक 1390/1532/2013/नि/चार, दिनांक 19/07/2013 के संदर्भ में अग्रोपित ।
- 3- आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र. ।
- 4- संचालक, चिकित्सा सेवाएँ / लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल ।
- 5- संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल ।
- 6- संयुक्त संचालक, (एम.आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र. भोपाल ।
- 7- सहायक अधीक्षता, चिकित्सा महाविद्यालय, म.प्र. ।
- 8- सहायक संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र. ।
- 9- सहायक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र. ।
- 10- लेखा शाखा, मंत्रालय, भोपाल ।
- 11- संचालक, जे.के. हास्पिटल एवं मेडिकल कालेज भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

3143

2

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

दिनांक 02/8/13

मंत्रालय

क्रमांक एफ 9-7/2013/सत्रह/मेडि-3
प्रति,

भोपाल, दिनांक 30/07/2013

- 1- शासन के समस्त विभाग,
- 2- अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
- 3- समस्त विभागाध्यक्ष,
- 4- रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, जबलपुर / ग्वालियर / इन्दौर, म.प्र.,
- 5- समस्त सांभागीय आयुक्त, म.प्र.,
- 6- समस्त जिलाध्यक्ष, म.प्र.,

विषय:- जे.के. हॉस्पिटल एवं मेडिकल कालेज भोपाल को शासकीय सेवक तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के जांच / उपचार हेतु शासकीय मान्यता।

.....0000000.....

मध्य शासन एतद्वारा चिकित्सा परिवर्धन नियम 1958 के नियम -2 (च) के अन्तर्गत जे.के. हॉस्पिटल एवं मेडिकल कालेज भोपाल को शासकीय सेवकों तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को निम्नलिखित जांच/उपचार हेतु आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी एक वर्ष तक के लिये सशर्त पर मान्यता प्रदान की जाती है :-

क.	उपचार/जांच	दर
1	Angiography	8,500/- Angiography including coronary, carotid, renal, aortogram peripheral (inclusive of investigation)
2	A-Angioplasty (PTCA) with one Stent (non drug)	50,000/- coronary angioplasty with one stent (non drug clotting)
	B - For second stent	72,000/- + 25,000/- + 97,000/- (For second stent Extra Rs 25000)
3	C.T.Scan Head	1600/-
4	C.T.Scan other body part	3000/-
5	C.T.Scan full Abdomen	2092/-
6	C.T.Scan lower Abdomen	2000/-
7	C.T.Scan upper Abdomen	2000/-
8	C.T.Scan Neck	1560/-
9	C.T.Scan Head & plain	900/-
10	C.T.Scan Spine	2000/-
11	C.T.Scan Direct Thorax (Chest)	1700/-
12	Mammography	425/-

रखा (MR)

निरन्तर.....2



- 2- यह मान्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहेगी :-
- 1- चिकित्सालय द्वारा संचालक चिकित्सा सेवाएँ द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रपत्रों में पूर्ण जानकारी रखनी होगी तथा प्रत्येक माह की 7 तारीख को संचालक चिकित्सा सेवाएँ म. प्र.भोपाल को भेजी जावेगी।
- 2- चिकित्सालय द्वारा उक्त दरों की रेट लिस्ट चिकित्सालय में लगाई जाना आवश्यक होगा।
- 3- मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों द्वारा शासकीय कर्मचारियों एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों से पंजीयन शुल्क नहीं लिया जावेगा।
- 4- जानकारी समय पर न भेजने, शासकीय सेवकों तथा उनके परिवार के सदस्यों से निर्धारित दरों से अधिक शुल्क लेने, संस्थान द्वारा दो जाने वाली परीक्षण संबंधी सुविधायें उपयुक्त/मानक स्तर की न पाये जाने अथवा किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर मान्यता किसी भी समय पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।
- 5- संचालक चिकित्सा सेवाएँ व उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी समय-समय पर जांच करने के लिये, कि समस्त सुविधायें उपयुक्त स्तर की हैं, संस्थान की जांच कर सकेंगे।
- 6- जिस शासकीय सेवक या उसके परिवार के सदस्यों को वर्तमान नियमों के अन्तर्गत निदान/उपचार के लिये पात्रता है, उस शासकीय सेवक को पदस्थापना के निकटतम चिकित्सा महाविद्यालय में कंसलटेन्ट को दिखाना होगा। कंसलटेन्ट द्वारा निदान की नितान्त आवश्यकता के प्रमाण पत्र की जांच एक समिति करेगी, जिसमें चिकित्सा महाविद्यालय के डीन तथा मेडीकल और सर्जरी के विभागाध्यक्ष रहेंगे। जिला मुख्यालयों पर उक्त प्रमाण पत्र की जांच सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक तथा रोगों से संबंधित विशेषज्ञ (रोग विशेषज्ञ) करेंगे।
- 7- उक्त चिकित्सालय में उपचार कराने / परीक्षण करवाने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति उक्त निर्धारित दरों पर की जावेगी। यदि कोई अधिकारी / कर्मचारी या उसके परिवार का आश्रित सदस्य इससे महंगी चिकित्सा या अन्य परीक्षण उक्त चिकित्सालय में कराता है तो ऐसे शर्षि का भार वह स्वयं वहन करेगा।
- 8- उक्त निर्धारित परीक्षणों के दरों की समीक्षा/पुनरीक्षित करने का अधिकार राज्य शासन को ही होगा।
- 9- संस्थान को जिन निर्धारित दरों (एप्रूड रेट लिस्ट) पर मान्यता प्रदान की गई है उन्ही दरों पर रोगी की जांच की जावेगी।
- 10- संस्थान को नर्सिंग होम एक्ट के अन्तर्गत पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।
- 11- बड़ी शल्य विधियों जैसे कि - ओपन हार्ट सर्जरी इकाई हेतु स्वयं वग ब्लड बैंक भी संस्थान में होना अनिवार्य है।
- 12- यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 1390/1532/2013/नि/चार, दिनांक 19/07/2013 द्वारा दी गई सहनति के तारतम्य में जारी की गई है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सियाराम साहू)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ.क्रमांक एफ 9-7/2013/सत्रह/मेडि-3

भोपाल, दिनांक 30/07/2013

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (आडिट)-1 /2 म.प्र.ग्वालियर की ओर वित्त

विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.9.02 के संदर्भ में अग्रेषित ।

- 2- सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग की ओर उनके जावक क्रमांक 1390/1532/2013/ ति/चार, दिनांक 19/07/2013 के संदर्भ में अग्रेषित ।
- 3- आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र.।
- 4- संचालक, चिकित्सा सेवाएँ/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल ।
- 5- संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र.भोपाल ।
- 6- संयुक्त संचालक, (एम.आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र. भोपाल ।
- 7- समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, म.प्र.।
- 8- समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र.।
- 9- समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र.।
- 10- लेखा शाखा, मंत्रालय, भोपाल ।
- 11- संचालक, जे.के. हास्पिटल एवं मेडिकल कालेज भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ



अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

आयुक्त/3143
2/8/13

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 9- 10/2013/सत्रह/मेडि-3
प्रति,

भोपाल, दिनांक 29/07/2013

- 1- शासन के समस्त विभाग,
- 2- अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
- 3- राजस्व विभागाध्यक्ष,
- 4- रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, जबलपुर/ग्वालियर/इन्दौर, म.प्र.,
- 5- समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.,
- 6- समस्त जिलाध्यक्ष, म.प्र.,

विषय:- बालाजी फेक्चर हास्पिटल भोपाल को शासकीय सेवक तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के जांच/उपचार हेतु शासकीय मान्यता।

.....0000000.....

राज्य शासन एतद्वारा चिकित्सा परिचर्या नियम 1958 के नियम -2 (च) के अन्तर्गत बालाजी फेक्चर हास्पिटल भोपाल को शासकीय सेवकों तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को निम्नलिखित जांच/उपचार हेतु आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी एक वर्ष तक के लिये सशर्त पर मान्यता प्रदान की जाती है :-

क.	उपचार/जांच	दर
1	Total HIP Replacament	81,000/-
2	Total Knee Replacament	99,000/-

- 2- या मान्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहेगी :-
- 1- चिकित्सालय द्वारा संचालक चिकित्सा सेवाएँ द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रपत्रों में पूर्ण जानकारी रखनी होगी तथा प्रत्येक माह की 7 तारीख को संचालक चिकित्सा सेवाएँ म. प्र.भोपाल को भेजी जावेगी।
- 2- चिकित्सालय द्वारा उक्त दरों की रेट लिस्ट चिकित्सालय में तालाई जाना आवश्यक होगा।
- 3- मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों द्वारा शासकीय कर्मचारियों एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों से पंजीयन शुल्क नहीं लिया जावेगा।
- 4- जानकारी समय पर न भेजने, शासकीय सेवकों तथा उनके परिवार के सदस्यों से निर्धारित दरों से अधिक शुल्क लेने, संस्थान द्वारा दी जाने वाली परीक्षण संबंधी सुविधाएँ उपयुक्त/मानक स्तर की न पाये जाने अथवा किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर मान्यता किसी भी समय पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।
- 5- संचालक चिकित्सा सेवाएँ व उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी समय-समय पर जांच करने के लिये, कि समस्त सुविधाएँ उपयुक्त स्तर की है, संस्थान की जांच कर सकेंगे।
- 6- जिस शासकीय सेवक या उसके परिवार के सदस्यों को वर्तमान नियमों के अन्तर्गत निदान/उपचार के लिये पात्रता है, उस शासकीय सेवक को पदस्थापना के निकटतम चिकित्सा महाविद्यालय में कंसलटेन्ट दिखाना होगा। कंसलटेन्ट द्वारा निदान की नितान्त आवश्यकता के प्रमाण पत्र की जांच एक समिति करेगी, जिसमें चिकित्सा महाविद्यालय के डोन तथा मेडीकल और सर्जरी के विभागाध्यक्ष रहेंगे। जिला मुख्यालयों पर उक्त प्रमाण पत्र की जांच सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक तथा रोगों से संबंधित विशेषज्ञ (रोग विशेषज्ञ) करेंगे।
- 7- उक्त चिकित्सालय में उपचार कराने / परीक्षण करवाने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति उक्त निर्धारित दरों पर की जावेगी। यदि कोई अधिकारी /कर्मचारी या उसके परिवार का आश्रित सदस्य इससे महंगा चिकित्सा या अन्य परीक्षण उक्त चिकित्सालय में कराता है तो शेष राशि का भार वह स्वयं वहन करेगा।
- 8- उक्त निर्धारित परीक्षणों के दरों की समीक्षा/पुनरीक्षित करने का अधिकार राज्य शासन को ही होगा।

निरन्तर.....2

//2//

9- संस्थान की जिन निर्धारित दरों (एप्रूव्ड रेट लिस्ट) पर मान्यता प्रदान की गई है उन्ही दरों पर से जांच की जावेगी।

10- संस्थान को नर्सिंग होम एक्ट के अन्तर्गत पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।

3/- यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 1394/1531/2013/नि/चार, दि. 19/07/2013 द्वारा दी गई सहमति के तात्पर्य में जारी की गई है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सियाराम साहू)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ.क्रमांक एफ 9-10/2013/सत्रह/मेडि-3

भोपाल, दिनांक, 29/07/2013

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (आडिट)-1 /2 म.प्र. ग्वालियर की और वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.9.02 के संदर्भ में अग्रेषित।

2- सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग की ओर उनके जावक क्रमांक 1394/1531/2013 नि/चार, दिनांक 19/07/2013 के संदर्भ में अग्रेषित।

3- आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र.।

4- संचालक, चिकित्सा सेवाएँ/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल।

5- संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल।

6- संयुक्त संचालक, (एम.आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र. भोपाल।

7- समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, म.प्र.।

8- समस्त सभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र.।

9- समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म लेखा शाखा, मंत्रालय, भोपाल।

11- संचालक, बालाजी फेववर हास्पिटल भोपाल

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण वि.

स्वा. आयुक्त / 3143
क. 02/8/13

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

5

क्रमांक एफ 9-10/2007/सत्रह/मेडि-3

भोपाल, दिनांक 31/07/2013

प्रति,

- 1- शासन के समस्त विभाग,
- 2- अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
- 3- समस्त विभागाध्यक्ष,
- 4- रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, जबलपुर / ग्वालियर / इन्दौर, म.प्र.,
- 5- समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.,
- 6- समस्त जिलाध्यक्ष, म.प्र.,

विषय:- मेयो हास्पिटल भोपाल - को शासकीय सेवक तथा उनके आश्रित परिवार सदस्यों के जांच / उपचार हेतु शासकीय मान्यता में वृद्धि बाबत।

राज्य शासन एतद्वारा इस विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 9-10/2007/सत्रह/मेडि-3 दिनांक 10/02/2010 के अनुक्रम में मेयो हास्पिटल भोपाल को शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के सदस्यों के जांच / उपचार हेतु दिनांक 10/02/2012 तक दी गई मान्यता अवधि को पूर्व में वर्णित शर्तों एवं निर्धारित दरों के अनुसार आगामी दो वर्ष तक के लिये मान्यता अवधि में वृद्धि की जाती है।

2/- यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 1390/1532/2013/नि/चार, दिनांक 19/07/2013 द्वारा दी गई सहमति के तारतम्य में जारी की गई है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सियाराम साहू)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ. क्रमांक एफ 9-10/2007/सत्रह/मेडि-3

भोपाल, दिनांक 19/07/2013

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (आडिट)-1 / 2 म.प्र. ग्वालियर की और वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.9.02 के संदर्भ में अग्रेषित।

- 2- सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग की ओर उनके जावक क्रमांक 1390/1532/2013/नि/चार, दिनांक 19/07/2013 के संदर्भ में अग्रेषित।
- 3- आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र.।
- 4- संचालक, चिकित्सा सेवाएँ/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल।
- 5- संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल।
- 6- संयुक्त संचालक, (एम.आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र. भोपाल।
- 7- समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, म.प्र.।
- 8- समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र.।
- 9- समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र.।
- 10- लेखा शाखा, मंत्रालय, भोपाल।
- 11- संचालक, मेयो हास्पिटल भोपाल की और सूचनार्थ एवं पालनार्थ

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

क्रमांक एफ 9-14/2013/रात्रह/भेडि-3
प्रति,

भोपाल, दिनांक 30/07/2013

- 1- शासन के समस्त विभाग,
- 2- अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
- 3- समस्त विभागाध्यक्ष,
- 4- रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, जबलपुर / ग्वालियर / इन्दौर, म.प्र.,
- 5- समस्त सभागीय आयुक्त, म.प्र.,
- 6- समस्त जिलाध्यक्ष, म.प्र.,

विषय:- हजेल हास्पिटल भोपाल को शासकीय सेवक तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के जांच/उपचार हेतु शासकीय मान्यता।

.....0000C00.....

शासन शासन एतद्वारा चिकित्सा परिचर्या नियम, 1958 के नियम -2 (घ) के अन्तर्गत हजेल हास्पिटल भोपाल को शासकीय सेवकों तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को निम्नलिखित जांच/उपचार हेतु आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी एक वर्ष तक के लिये सशर्त पर मान्यता प्रदान की जाती है :-

क.	उपचार/जांच	दर
1	Total HIP Replacement	81,000/-
2	Total Knee Replacement	99,000/-

2- 2 मान्यता प्रदान करने के लिये संकेतित है -

- 9- संस्थान को जिन निर्धारित दरों (एप्रूव्ड रेट लिस्ट) पर मान्यता प्रदान की गई है उन्ही दरों पर रोगी जांच की जायेगी ।
- 10-संस्थान को नर्सिंग होम एप्रूव्ड के अन्तर्गत पंजीयन कराना अनिवार्य होगा ।
- 3/-यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 1390/1532/2013/नि/चार दिनांक 19/07/2013 द्वारा दी गई सहमति के तारतम्य में जारी की गई है ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सियाराम राहू)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

क्रमांक म.प्र. 8-153/2013/सत्रह/भेडि-3

भोपाल, दिनांक 25/07/2013

प्रतिनिधि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (आडिट)-1 /2 म.प्र. ग्वालियर की ओर वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.9.02 के संदर्भ में अग्रेषित ।

- 2- महाविद्यालय, म.प्र. शासन, वित्त विभाग की ओर उनके जावक क्रमांक 1390/1532/2013/नि/चार, दिनांक 19/07/2013 के संदर्भ में अग्रेषित ।
- 3- आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र. ।
- 4- संचालक, चिकित्सा सेवाएँ/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल ।
- 5- संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल ।
- 6- संयुक्त संचालक, (एम.आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र. भोपाल ।
- 7- सनरत आलोचना, चिकित्सा महाविद्यालय, म.प्र. ।
- 8- सनरत संगीतीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र. ।
- 9- सनरत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन राह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र. ।
- 10- लेखा मंत्रालय, म.प्र. भोपाल ।
- 11- संचालक, हजोला हॉस्पिटल भोपाल

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

3143

7

आगुस्त/02/8/13

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 29/07/2013

क्रमांक एफ 9-20/2007/सत्रह/मेडि-3

प्रति,

- 1- शासन के समस्त विभाग.
- 2- अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर.
- 3- समस्त विभागाध्यक्ष.
- 4- रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, जबलपुर / ग्वालियर / इन्दौर, म.प्र.
- 5- सगस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.
- 6- सगस्त जिलाध्यक्ष, म.प्र.

विषय:- युनिक सुपर स्पेशलिटी (नीमा हास्पिटल प्रायवेट लिमिटेड), अन्नपूर्णा रोड, इंदौर - को शासकीय सेवाएं तथा उनके आश्रित परिवार सदस्यों के जांच / उपचार हेतु शासकीय मान्यता में वृद्धि बाबत।

राज्य शासन एतद्वारा इस विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 9-20/2007/सत्रह/मेडि-3 दिनांक 22/02/2011 के अनुक्रम में युनिक सुपर स्पेशलिटी (नीमा हास्पिटल प्रायवेट लिमिटेड), अन्नपूर्णा रोड, इंदौर को शासकीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों की जांच/उपचार हेतु दिनांक 16/01/2013 तक दी गई मान्यता अवधि को पूर्व में वर्णित शर्तों एवं निर्धारित दरों के अनुसार आगामी दो वर्ष तक के लिये मान्यता अवधि में वृद्धि की जाती है।

2/- यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 1394/1531/2013/नि/चार, दिनांक 19/07/2013 द्वारा दी गई सहमति के तारतम्य में जारी की गई है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(सियाराम साहू)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक 29/07/2013

पृ. क्रमांक एफ 9-20/2007/सत्रह/मेडि-3

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (आडिट)-1 / 2 म.प्र. ग्वालियर की ओर वित्त

विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.9.02 के संदर्भ में अग्रेषित।

2- सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग की ओर उनके जावक क्रमांक 1394/1531/2013/नि/चार, दिनांक 19/07/2013 के संदर्भ में अग्रेषित।

3- आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, म.प्र.।

4- संचालक, चिकित्सा सेवाएं/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल।

5- संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल।

6- संयुक्त संचालक, (एम.आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, म.प्र. भोपाल।

7- समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, म.प्र.।

8- सगस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, म.प्र.।

9- समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र.।

10- लेखा शाखा, मंत्रालय, भोपाल।

11- संचालक, युनिक सुपर स्पेशलिटी (नीमा हास्पिटल प्रायवेट लिमिटेड), अन्नपूर्णा रोड, इंदौर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

क्षेत्री (म.प्र.)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

क्रमांक एफ 9-9/2013/सत्रह/मेडि-3

भोपाल, दिनांक 25/07/2013

प्रति,

- 1- शासन के समस्त विभाग,
- 2- अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
- 3- समस्त विभागाध्यक्ष,
- 4- रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, जबलपुर/ग्वालियर/इंदौर, म.प्र.,
- 5- समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.,
- 6- समस्त जिलाध्यक्ष, म.प्र.,

विषय- युनिक सुपर स्पेशलिटी (नीमा हास्पिटल प्रायवेट लिमिटेड), अन्नपूर्णा रोड, इंदौर को शासकीय सेवक तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के जांच/उपचार हेतु शासकीय मान्यता।

.....0000000.....

राज्य शासन एतद्वारा चिकित्सा परिचर्या नियम 1958 के नियम -2 (घ) के अन्तर्गत युनिक सुपर स्पेशलिटी (नीमा हास्पिटल प्रायवेट लिमिटेड), अन्नपूर्णा रोड, इंदौर को शासकीय सेवकों तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को निम्नलिखित जांच/उपचार हेतु आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी एक वर्ष तक के लिये सशर्त पर मान्यता प्रदान की जाती है :-

क्र.	उपचार/जांच	दर
	Neuro Surgery	रुपये 60,000/-
	Spinal Surgeris	
1	Cervical	14,500/-
2	Dorsel	14,500/-
3	Lumber	14,500/-
	C.T.Scan	
1	C.T.Scan Head	1600/-
2	C.T.Scan Head & Neck LMT	1560/-
3	C.T. PNS -- HRCT (Chest)	1700/-
4	C.T.Scan Head & Plain	900/-
5	C.T.Scan Head & Orbits	800/-
6	C.T.Scan PNS coronal	1520/-
7	C.T.Scan Chest/Thorax	1400/-
8	C.T.Scan Abdomen & upper abdomen	1300/-
9	C.T.Scan full Abdomen with Pelvis	2092/-
10	C.T.Scan Spine plain	2300/-
11	TMT	1000/-
12	Hemo Dialysis (per sitting)	500/-Per Sitting
13	Echo/colour Doppler/ECG	950/-
	Head injury	
1	Acute SDH	16,375/-
2	EDH	16,375/-
3	Benign Tumor	21,200/-
4	RFLG For trigeminal	8,550/-

J22(MR)

निरंतर 2

2- यह मान्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहेगी :-

- 1- चिकित्सालय द्वारा संचालक चिकित्सा सेवाएँ द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रपत्रों में पूर्ण जानकारी रखे तथा प्रत्येक माह की 7 तारीख को संचालक चिकित्सा सेवाएँ में प्रभोपाल को भेजी जावेगी।
- 2- चिकित्सालय द्वारा उक्त दरों की रेट लिस्ट चिकित्सालय में लगाई जाना आवश्यक होगा।
- 3- मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों द्वारा शासकीय कर्मचारियों एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्य पंजीयन शुल्क नहीं लिया जावेगा।
- 4- जानकारी समय पर न भेजने, शासकीय सेवकों तथा उनके परिवार के सदस्यों से निर्धारित दाय अधिक शुल्क लेने, संस्थान द्वारा दी जाने वाली परीक्षण संबंधी सुविधायें उपयुक्त/मानक स्तर पर पाये जाने अथवा किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर मान्यता किसी भी समय पूर्व सूचना समाप्त की जा सकेगी।
- 5- संचालक चिकित्सा सेवाएँ व उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी समय-समय पर जांच करने के लिये समस्त सुविधायें उपयुक्त स्तर की है, संस्थान की जांच कर सकेंगे।
- 6- जिस शासकीय सेवक या उसके परिवार के सदस्यों को वर्तमान नियमों के अन्तर्गत निदान/उपचारे हेतु पात्रता है, उस शासकीय सेवक को पदस्थापना के निकटतम चिकित्सा महाविद्यालय में कंसल को दिखाना होगा। कंसलटेन्ट द्वारा निदान की नितान्त आवश्यकता के प्रमाण पत्र की जांच एक करेगी, जिसमें चिकित्सा महाविद्यालय के डीन तथा मेडीकल और सर्जरी के विभागाध्यक्ष रहेंगे। मुख्यालयों पर उक्त प्रमाण पत्र को जांच सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक तथा रोग संबंधित विशेषज्ञ (रोग विशेषज्ञ) करेंगे।
- 7- उक्त चिकित्सालय में उपचार कराने / परीक्षण करवाने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति उक्त निर्धारित दरों पर की जावेगी। यदि कोई अधिकारी / कर्मचारी या उसके परिवार का आश्रित सदस्य इससे महंगी चिकित्सा या अन्य परीक्षण उक्त चिकित्सालय में कराता है तो शेष राशि का भार वह स्वयं वहन करेगा।
- 8- उक्त निर्धारित परीक्षणों के दरों की समीक्षा/पुनरीक्षित करने का अधिकार राज्य शासन को ही होगा।
- 9- संस्थान को जिन निर्धारित दरों (एप्रूव्ड रेट लिस्ट) पर मान्यता प्रदान की गई है उन्ही दरों पर रोग जांच की जावेगी।
- 10- संस्थान को नर्सिंग होग एक्ट के अन्तर्गत पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।
- 3/- यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 1394/1531/2013/नि/चार, 19/07/2013 द्वारा दी गई सहमति के तारतम्य में जारी की गई है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सियाराम साहू)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

नि

पृ.क्रमांक एफ 9- 9 / 2013 / सत्रह / मेडि-3

भोपाल, दिनांक 29 / 07 / 2013

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (आडिट)-1 / 2 म.प्र. ग्वालियर की और वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.9.02 के संदर्भ में अग्रेषित ।

- 2- सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग की ओर उनके जायक क्रमांक 1394 / 1531 / 2013 / नि / चार, दिनांक 19 / 07 / 2013 के संदर्भ में अग्रेषित ।
- 3- आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र. ।
- 4- संचालक, चिकित्सा सेवाएँ / लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल ।
- 5- संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल ।
- 6- संयुक्त संचालक, (एम.आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल ।
- 7- अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल म.प्र. ।
- 8- सुमस्त, सभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. ।
- 9- समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र. ।
- 10- लेखा राखा, नत्रालय, भोपाल ।
- 11- संचालक, युनिक सुपर स्पेशलिटी (नीमा हास्पिटल प्रायवेट लिमिटेड), अन्नपूर्णा रोड, इंदौर



अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

3143

10

मि.रा.ज./स्वा.आ.श.क./

0218/13

दिनांक

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय

क्रमांक एफ 9-03/2010/सत्रह/मेडि-3

भोपाल, दिनांक 25/07/2013

प्रति,

- 1- शासन के समस्त विभाग,
- 2- अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
- 3- समस्त विभागाध्यक्ष,
- 4- रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, जबलपुर / ग्वालियर / इन्दौर, म.प्र.,
- 5- समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.,
- 6- समस्त जिलाध्यक्ष, म.प्र.,

विषय:- अरिहंत हास्पिटल एण्ड सिर्च सेंटर, इंदौर - को शासकीय सेवक तथा उनके आश्रित परिवार सदस्यों के जांच / उपचार हेतु शासकीय मान्यता में वृद्धि बाबत।

राज्य शासन एतद्वारा इस विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 9-03/2010/सत्रह/मेडि-3 दिनांक 18/01/2012 के अनुक्रम में अरिहंत हास्पिटल एण्ड सिर्च सेंटर, इंदौर को शासकीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों की जांच / उपचार हेतु दिनांक 09/02/2013 तक दी गई मान्यता अवधि को पूर्व में वर्णित शर्तों एवं निर्धारित दरों के अनुसार आगामी दो वर्ष तक के लिये मान्यता अवधि में वृद्धि की जाती है।

2/- यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 1394/1531/2013/नि/चार, दिनांक 19/07/2013 द्वारा दी गई सहमति के तारतम्य में जारी की गई है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(सियाराम साहू)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक 25/07/2013

पृ. क्रमांक एफ 9-03/2010/सत्रह/मेडि-3

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (आडिट)-1 / 2 म.प्र.ग्वालियर की और वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.9.02 के संदर्भ में अग्रोषित।

- 2- सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग की ओर उनके जावक क्रमांक 1394/1531/2013/नि/चार, दिनांक 19/07/2013 के संदर्भ में अग्रोषित।
- 3- आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, म.प्र.।
- 4- संचालक, चिकित्सा सेवाएं/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल।
- 5- संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र.भोपाल।
- 6- संयुक्त संचालक, (एम.आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.भोपाल।
- 7- समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, म.प्र.।
- 8- समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
- 9- समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र.।
- 10- लेखा शाखा, मंत्रालय, भोपाल।
- 11- संचालक, अरिहंत हास्पिटल एण्ड सिर्च सेंटर, इंदौर, की और सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

श्याम (MR)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

3143
02/8/13
दिनांक

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 29/07/2013

क्रमांक एफ 9-12/2013/सत्रह/मेडि-3
प्रति,

- 1- शासन के समस्त विभाग,
- 2- अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
- 3- समस्त विभागाध्यक्ष,
- 4- रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, जबलपुर / ग्वालियर / इन्दौर, म.प्र.,
- 5- समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.,
- 6- समस्त जिलाध्यक्ष, म.प्र.,

विषय:- सिनर्जी हास्पिटल इंदौर को शासकीय सेवक तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के जांच/उपचार हेतु शासकीय मान्यता।

.....0000000.....

राज्य शासन एतद्वारा चिकित्सा परिचर्या नियम 1958 के नियम -2 (घ) के अन्तर्गत सिनर्जी हास्पिटल इंदौर को शासकीय सेवकों तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को निम्नलिखित जांच/उपचार हेतु आश्रित करने के दिनांक से आगामी एक वर्ष तक के लिये राशर्ता पर मान्यता प्रदान की जाती है :-

क्र.	उपचार/जांच	दर
1	Hemo Dialysis (per sitting)	500/-Per Sitting
2	Kidney Transplant	1,50,000/-& additional Rs 50,000 Towards the cost of immunosuppressants for a period of 6 months

2- यह मान्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहेगी :-

- 1- चिकित्सालय द्वारा संचालक चिकित्सा सेवाएँ द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रपत्रों में पूर्ण जानकारी रखनी होगी तथा प्रत्येक माह की 7 तारीख को संचालक चिकित्सा सेवाएँ म. प्र.भोपाल को भेजी जावेगी।
- 2- चिकित्सालय द्वारा उक्त दरों की रेट लिस्ट चिकित्सालय में लगाई जाना आवश्यक होगा।
- 3- मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों द्वारा शासकीय कर्मचारियों एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों से पंजीयन शुल्क नहीं लिया जावेगा।
- 4- जानकारी समय पर न भेजने, शासकीय सेवकों तथा उनके परिवार के सदस्यों से निर्धारित दरों से अधिक शुल्क लेने, संस्थान द्वारा दी जाने वाली परीक्षण संयोजी सुविधायें उपयुक्त/मानक स्तर की न पाये जाने अथवा किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर मान्यता किसी भी समय पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।
- 5- संचालक चिकित्सा सेवाएँ व उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी समय-समय पर जांच करने के लिये, कि समस्त सुविधायें उपयुक्त स्तर की हैं, संस्थान की जांच कर सकेंगे।
- 6- जिरा शासकीय सेवक या उसके परिवार के सदस्यों को वर्तमान नियमों के अन्तर्गत निदान/उपचार के लिये पात्रता है, उस शासकीय सेवक को पदस्थापना के निकटतम चिकित्सा महाविद्यालय में कंसलटेन्ट को दिखाना होगा। कंसलटेन्ट द्वारा निदान की नितान्त आवश्यकता के प्रमाण पत्र की जांच एक समिति करेगी, जिसमें चिकित्सा महाविद्यालय के डीन तथा मेडिकल और सर्जरी के विभागाध्यक्ष रहेंगे। जिला मुख्यालयों पर उक्त प्रमाण पत्र की जांच सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक तथा रोगों से संबंधित विशेषज्ञ (रोग विशेषज्ञ) करेंगे।
- 7- उक्त चिकित्सालय में उपचार कराने / परीक्षण करवाने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति उक्त निर्धारित दरों पर की जावेगी। यदि कोई अधिकारी / कर्मचारी या उसके परिवार का आश्रित सदस्य जहाँ से महंगी चिकित्सा या अन्य परीक्षण उक्त चिकित्सालय में कराता है तो शेष राशि का भार वह स्वयं वहन करेगा।
- 8- उक्त निर्धारित परीक्षणों के दरों की समीक्षा/पुनरीक्षित करने का अधिकार राज्य शासन को ही होगा।

निरन्तर.....

सचिव (म.प्र.)



//2//

- संस्थान को जिसे निर्धारित दरों (एप्रूव्ड रेट लिस्ट) पर सेवा प्रदान की गई है उन्ही दरों पर रोगी जांच की जावेगी।
- 2- संस्थान को नर्सिंग होम एक्ट के अन्तर्गत पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।
- 11- बड़ी शल्य क्रियाओं जैसे कि - ओपन हार्ट सर्जरी इकाई/ किडनी ट्रांसप्लंट हेतु स्वयं का ब्लड बैंक भी संस्थान में होना अनिवार्य है।
- 3/- यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 1394/1531/2013/नि/चार, दिनांक 19/07/2013 द्वारा दी गई सहमति के तारतम्य में जारी की गई है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(सियाराम साहू)
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

- क्रमांक एफ 9-12/2013/सत्रह/मेडि-3 भोपाल, दिनांक 07/2013
1. तैल्लिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (आडिट)-1/2 म.प्र. वालियर की ओर वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.9.02 के संदर्भ में अग्रेषित।
2. सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग की ओर उनके जावक क्रमांक 1394/1531/2013/नि/चार, दिनांक 19/07/2013 के संदर्भ में अग्रेषित।
3. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र.।
4. संचालक, चिकित्सा सेवाएँ/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल।
5. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल।
6. संयुक्त संचालक, (एम.आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र. भोपाल।
7. समस्त अस्पताल, चिकित्सा महाविद्यालय, म.प्र.।
8. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र.।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र.।
10. लेखा शाखा, मंत्रालय, भोपाल।
11. संचालक, सिनर्जी हॉस्पिटल इंदौर



अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

3143

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 29/07/2013

क्रमांक एफ 9-9/2012/सत्रह/मेडि-3

प्रति,

- 1- शासन के समस्त विभाग,
- 2- अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
- 3- समस्त विभागाध्यक्ष,
- 4- रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, जबलपुर / ग्वालियर / इंदौर, म.प्र.,
- 5- समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.,
- 6- समस्त जिलाध्यक्ष, म.प्र.,

विषय:- राजश्री हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, इंदौर - को शासकीय सेवक तथा उनके आश्रित परिवार सदस्यों के जांच / उपचार हेतु शासकीय मान्यता में वृद्धि बाबत।

राज्य शासन एतद्वारा इस विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 9-09/2012/सत्रह/मेडि-3 दिनांक 03/02/2012 के अनुक्रम में राजश्री हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, इंदौर - को शासकीय सेवक एवं सेवक उनके परिवार के सदस्यों के जांच / उपचार हेतु दिनांक 3/02/2013 तक दी गई मान्यता अवधि को पूर्व में वर्णित शर्तों एवं निर्धारित दरों के अनुसार आगामी दो वर्ष तक के लिये मान्यता अवधि में वृद्धि की जाती है।

2/- यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 1394/1531/2013/नि/चार, दिनांक 19/07/2013 द्वारा दी गई सहमति के तारतम्य में जारी की गई है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सियाराम साहू)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक 29/07/2013

पृ. क्रमांक एफ 9-9/2012/सत्रह/मेडि-3

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (आडिट)-1 / 2 म.प्र. ग्वालियर की ओर वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.9.02 के संदर्भ में अग्रप्रेषित।

2- सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग की ओर उनके जावक क्रमांक 1394/1531/2013/नि/चार, दिनांक 19/07/2013 के संदर्भ में अग्रप्रेषित।

3- आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, म.प्र.

4- संचालक, चिकित्सा सेवाएं/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल।

5- संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल।

6- संयुक्त संचालक, (एम.आर.) संचालनलय स्वास्थ्य सेवाएं, म.प्र. भोपाल।

7- समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, म.प्र.

8- समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, म.प्र.

9- समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र.

10- लेखा शाखा, मंत्रालय, भोपाल।

11- संचालक, राजश्री हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, इंदौर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

रजि. (MA)

3143
2/8/13

13

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 25/07/2013

क्रमांक एफ 9-1/2012/सत्रह/मेडि-3
प्रति,

- 1- शासन के समस्त विभाग,
- 2- अध्यक्ष, राजस्व गंडल, ग्वालियर,
- 3- समस्त विभागाध्यक्ष,
- 4- रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, जबलपुर / ग्वालियर / इन्दौर, म.प्र.,
- 5- समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.,
- 6- समस्त जिलाध्यक्ष, म.प्र.,

विषय:- ग्रेटर कैलाश हास्पिटल प्रायवेट लिमिटेड इंदौर - को शासकीय सेवक तथा उनके आश्रित परिवार सदस्यों के जांच / उपचार हेतु शासकीय मान्यता में वृद्धि बाबत।

राज्य शासन एतद्वारा इस विभाग के आप क्रमांक एफ 9-1/2012/सत्रह/मेडि-3 दिनांक 13/01/2012 के अनुक्रम में ग्रेटर कैलाश हास्पिटल प्रायवेट लिमिटेड इंदौर को शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के सदस्यों के जांच / उपचार हेतु दिनांक 10/01/2013 तक दी गई मान्यता अवधि को पूर्व में वर्तित शर्तों एवं निर्धारित दरों के अनुसार आगामी दो वर्ष तक के लिये मान्यता अवधि में वृद्धि की जाती है।

2/- यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 1394/1531/2013/नि/चार, दिनांक 19/07/2013 द्वारा दी गई सहमति के तारतम्य में जारी की गई है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सियाराम साहू)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक 25/07/2013

पु. क्रमांक एफ 9-1/2012/सत्रह/मेडि-3

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (आडिट)-1 / 2 म.प्र. ग्वालियर की ओर वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.9.02 के संदर्भ में अग्रेषित।

2- सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग की ओर उनके जावक क्रमांक 1394/1531/2013/नि/चार, दिनांक 19/07/2013 के संदर्भ में अग्रेषित।

3- आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, म.प्र.।

4- संचालक, चिकित्सा सेवाएं / लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल।

5- संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल।

6- संयुक्त संचालक, (एम.आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, म.प्र. भोपाल।

7- समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, म.प्र.।

8- समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, म.प्र.।

9- समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र.।

10- लेखा शाखा, मंत्रालय, भोपाल।

11- संचालक, ग्रेटर कैलाश हास्पिटल प्रायवेट लिमिटेड इंदौर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ

स्. 211 (म.प्र.)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

दिनांक

02/8/13

भोपाल, दिनांक 20/07/2013

क्रमांक एफ 9-8/2010/सत्रह/मेडि-3

प्रति,

- 1- शासन के समस्त विभाग,
- 2- अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
- 3- समस्त विभागाध्यक्ष,
- 4- रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, जबलपुर / ग्वालियर / इन्दौर, म.प्र.,
- 5- समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.,
- 6- समस्त जिलाध्यक्ष, म.प्र.,

विषय:- राजस आई एवं रेटिना सेंटर इंदौर - को शासकीय सेवक तथा उनके आश्रित परिवार सदस्यों के जांच / उपचार हेतु शासकीय मान्यता में वृद्धि बाबत।

राज्य शासन एतद्वारा इस विभाग के त्राप क्रमांक एफ 9-8/2010/सत्रह/मेडि-3 दिनांक 19/01/2010 के अनुक्रम में राजस आई एवं रेटिना सेंटर इंदौर को शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के सदस्यों के जांच / उपचार हेतु दिनांक 03/02/2013 तक दी गई मान्यता अवधि को पूर्व में वर्णित शर्तों एवं निर्धारित दरों के अनुसार आगामी दो वर्ष तक के लिये मान्यता अवधि में वृद्धि की जाती है।

2/- यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 1390/1532/2013/नि/चार, दिनांक 19/07/2013 द्वारा दी गई सहमति के तारतम्य में जारी की गई है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सियाराम साहू)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक 30/07/2013

पृ. क्रमांक एफ 9-8/2010/सत्रह/मेडि-3

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (आडिट)-1 / 2 म.प्र. ग्वालियर की ओर वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.9.02 के संदर्भ में अग्रेषित।

2- सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग की ओर उनके जावक क्रमांक 1390/1532/2013/नि/चार, दिनांक 19/07/2013 के संदर्भ में अग्रेषित।

3- आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, म.प्र.।

4- संचालक, चिकित्सा सेवाएं/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल।

5- संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल।

6- संयुक्त संचालक, (एम.आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, म.प्र. भोपाल।

7- समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, म.प्र.।

8- समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, म.प्र.।

9- समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिर्विल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र.।

10- लेखा शाखा, मंत्रालय, भोपाल।

11- संचालक, राजस आई एवं रेटिना सेंटर इंदौर की ओर सूचनार्थ एवं पालुनार्थ

सचो (MR)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग